सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 15/2015 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)
RCMS NO : 2015/00037

अनवान

1. श्री भंवरसिंह पिता तख्तसिंह राजपूत, निवासी कुन्दवों का गुडा, तह गोगुन्दा उदयपुर
2. श्री लालसिंह पिता तख्तसिंह राजपूत, निवासी कुन्दवों का गुडा, तह गोगुन्दा उदयपुर

– प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री भेरूसिंह पिता वजेसिंह राजपूत, निवासी कुन्दवों का गुडा, तह गोगुन्दा उदयपुर
2. श्रीमती पुष्पा बाई पत्नी भेरूसिंह राजपूत, निवासी कुन्दवों का गुडा, तह गोगुन्दा उदयपुर
3. सरकार जरिये तहसीलदार गोगुन्दा, जिला उदयपुर।

– विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री संजय बोहरा, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री भवानीशंकर पानेरी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 व 2

प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

* निर्णय *

दिनांक 05-07-2019

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया कि मौजा निकोर, तहसील गोगुन्दा में आराजी संख्या 3760 रकबा 0.0550 हेक्टेयर भूमि स्थित है, जिस पर प्रार्थीगण एवं उनके पिता का 20–25 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है तथा इनके विरूद्ध धारा 91, भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही भी चली, किन्तु उन्हें मौके से कभी बेदखल नहीं किया गया। विपक्षी संख्या 1 व 2 ने पटवारी हल्का से मिलकर कथित भूमि का आवंटन अपने नाम पर करवा लिया, जबकि इस भूमि के संबंध में न तो घोषणा पत्र जारी हुआ न ही उद्घोषणा पत्र की तामिल की जाने से आवंटन नियम 7 की पालना की गयी। कथित भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से मिली हुई है। विपक्षी संख्या 1 व 2 ने पटवारी हल्का से मिलकर कानून के विपरीत कथित भूमि का आवंटन दिनांक 11.04.2013 को अपने नाम पर करवा लिया, जबकि आज दिन तक उनका मौके पर कभी कब्जा नहीं रहा है। आवंटन में आवंटन नियम 4 व 5 की पालना नही की गयी है अर्थात ऑक्यूपाईड एवं अनऑक्यूपाईड भूमि की सूची तैयार नही की गयी। प्रार्थीगण द्वारा आर्थिक लागत लगाकर भूमि को आबादान किया गया है। आवंटन के समय आवंटन कमेटी का कोरम भी पूर्ण नहीं था। विपक्षी संख्या 1 व 2 भूमिहीन काश्तकारों की श्रेणी में नही आते है। इस प्रकार उक्त आवंटन गलत एवं मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र

स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष में दिनांक 11.04.2013 को किया गया कथित आवंटन निरस्ती योग्य होने से निरस्त किया जाकर भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज करने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री भवानी शंकर पानेरी, अधिवक्ता द्वारा वकालात पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में जवाब पेश किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सत्यता से परे है। मौजा निकोर, तहसील गोगुन्दा की आराजी संख्या 3760 रकबा 0.0550 हेक्टेयर भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा न होकर विपक्षी संख्या 1 व 2 का कब्जा निर्बाध रूप से चला आ रहा है। दिनांक 11.04.2013 को केम्प दियाण में उप जिलाधीश गोगुन्दा द्वारा पत्रावली संख्या 166 द्वारा उक्त भूमि का आवंटन नियमानुसार विपक्षी संख्या 1 व 2 को किया जाकर राजस्व रेकार्ड में गैर खातेदार दर्ज किया गया। आवंटन से पूर्व विधिवत उद्घोषणा जारी की गयी है एवं आपत्ति दर्ज कराये जाने की सूचना जारी करते हुए नियमानुसार आवंटन किया गया है। प्रार्थीगण के विरूद्ध जारी अन्तर्गत धारा 91, भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत जारी नोटिस के संबंध में विपक्षीगण को जानकारी नहीं है। उक्त भूमि पर पूंजी निवेश भी विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा किया गया है। प्रार्थीगण विपक्षीगण की भूमि हडपना चाहते है। इसलिये इनके द्वारा उक्त गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रकरण में तहसीलदार गोगुन्दा, जिला उदयपुर से विवादित आराजीयात पर वर्तमान मे किसका कब्जा है तथा कौन काश्त कर रहा है आदि की सूचना चाही गई। तहसीलदार गोगुन्दा द्वारा अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2015/159 दिनांक 12.05.2016 से प्रकरण में प्रेषित मौका रिपोर्ट में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा आपत्ति व्यक्त करने पर मामले में दुबारा मौका रिपोर्ट मंगवायी गयी। तहसीलदार गोगुन्दा द्वारा अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2018/158 दिनांक 15.03.2018 से प्रकरण में प्रेषित दुबारा मौका रिपोर्ट में न्यायालय को अवगत कराया कि मौजा निकोर, तहसील गोगुन्दा की आराजी संख्या 3760 रकबा 0.550 हेक्टेयर भूमि छोटी एवं पथरीली पहाडी है जिसकी पूर्व दिशा में पत्थर की कोट बनी हुयी है। मौके पर उक्त भूमि खाली पडी है तथा कोई काश्त निर्माण नहीं है। पूर्व में काश्त होना प्रतीत नहीं होता है। मौके पर मौतबिरान द्वारा अवगत कराया गया कि भूमि में बरसात में घास होती है जिसे भंवरसिंह, लालसिंह पिता तख्तसिंह द्वारा काटा जाता है। प्रकरण में तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा से आवंटन से संबंधित मूल पत्रावली संख्या 166/2013 तलब की जाकर बहस हेतु तिथि नियत की गयी।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक उपस्थित हुए। बहस प्रारम्भ करते हुए प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए उक्त आवंटन में उद्घोषणा जारी न होना, मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा होना, आवंटन से पूर्व ऑक्यूपाईड एवं अनऑक्यूपाईड भूमि की सूची तैयार न होना, प्रार्थीगण के पास आवंटन से पूर्व के धारा 91 के नोटिस उपलब्ध होना, तहसीलदार की रिपोर्ट प्रार्थी के पक्ष में होना, आवंटन में

मिसप्रजेन्टेशन होना आदि आधारों पर विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त करने की मांग की। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये :–

- आर.आर.डी. 1985 पृष्ठ 564
- आर.आर.डी. 1982 पृष्ठ 497
- आर.आर.डी. 1982 पृष्ठ 237
- आर.आर.टी. 2001 (2) पृष्ठ 1410
- आर.आर.टी. 2005 पृष्ठ 83
- आर.आर.डी. 1982 एन.ओ.सी. 21
- आर.आर.डी. 2005 पृष्ठ 629
- आर.आर.टी. 2007 (2) पृष्ठ 1048

विपक्षी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने बहस में भाग लेते हुए अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए लिखित बहस प्रस्तुत कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यों पर आधारित होना, विपक्षीगण का पुराना कब्जा होना, प्रार्थना पत्र एक ही आराजी पर होना, आवंटन में कोई मिसप्रजेन्टेशन न होना अवगत कराया तथा आराजी संख्या 3760 व 3834 पास–पास स्थित हो एक ही खाते में दर्ज होना बताया। विपक्षीगण के अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही होना बताया गया है, किन्तु यह भी स्पष्ट है कि अतिक्रमी के हक में कोई भी कानून हक व अधिकार सृजित नहीं होते है, जैसा कि आर.आर.डी. अक्टूबर 2007 पृष्ठ 729, आर.आर.टी. 2010 (2) पृष्ठ 1165, आर.आर.टी. 2009 (2) पृष्ठ 1273, आर.आर.टी. 2000 (2) पृष्ठ 1275, आर.आर.टी. 2009 (2) पृष्ठ 1299, आर.आर.टी. 2006–07 (Supp.) पृष्ठ 273, आर.आर.टी. 2006–07 (Supp.) पृष्ठ 281, आर.आर.टी. 2008 (2) पृष्ठ 835 आदि में उल्लेख किया गया है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 के तहत् प्रार्थीगण द्वारा कोई साक्ष्य पेश न करने से प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने हेतु अनुरोध किया।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र, रेस्पोडेन्ट के जवाब, तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट, आवंटन पत्रावली आदि का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गम्भीरता से मनन किया। आवंटन पत्रावली संख्या 166/2013 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा मौजा निकोर तहसील गोगुन्दा की आराजी संख्या 3760 रकबा 0.0550 हेक्टेयर, आराजी संख्या 3834 रकबा 0.2800 हेक्टेयर भूमि के आवंटन हेतु आवेदन करने पर पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की जांच उपरान्त उक्त भूमि का आवंटन विपक्षी संख्या 1 व 2 को किया गया है। आवंटन पत्रावली में कोरम पर तहसीलदार, विकास अधिकारी, क्षेत्रीय विधायक, प्रधान, सरपंच के हस्ताक्षर मौजूद हो अध्यक्ष के रूप में उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर भी मौजूद है। आवंटन के उपरान्त दिनांक 21.04.2013 को कब्जा सुपुर्द किया जाना आवंटन पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता

है, किन्तु यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के पास आवंटन से पूर्व के वर्ष 2007 से 2012 तक आराजी संख्या 3760 के धारा 91, भूराजस्व अधिनियम 1956 के नोटिस मौजूद है एवं विपक्षी संख्या 1 व 2 को आवंटन दिनांक 11.04.2013 को किया गया है अर्थात आवंटन से पूर्व उक्त आराजी संख्या 3760 पर विपक्षीगण काबिज न होकर प्रार्थीगण काबिज थे, किन्तु यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थीगण द्वारा आराजी संख्या 3834 के संबंध में कोई दस्तावेज इस न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया है और न ही उक्त आराजीयात के आवंटन को निरस्त किये जाने बाबत अनुरोध किया है। इस प्रकार विपक्षी संख्या 1 व 2 को आराजी संख्या 3760 पर किये गये आवंटन से पूर्व प्रार्थीगण का उक्त आराजीयात कब्जा प्रथम दृष्टया जाहिर होता है, किन्तु आराजी संख्या 3834 के संबंध में प्रार्थीगण द्वारा कब्जे के साक्ष्य के रूप में कोई दस्तावेज प्रस्तुत न करने से आराजी संख्या 3834 पर प्रार्थीगण का कब्जा नहीं माना जा सकता है। यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का आराजी संख्या 3760 पर विपक्षी संख्या 1 व 2 को किये गये आवंटन से पूर्व कब्जा होना अवश्य पाया गया हैं, किन्तु मात्र कब्जे के आधार पर ही प्रार्थीगण आवंटन के पात्र नही माना जा सकता हैं।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 व 2 को आवंटित मौजा निकोर तहसील गोगुन्दा की आराजी संख्या 3760 जिस पर विपक्षी संख्या 1 व 2 का कब्जा काश्त नही है एवं आवंटन शर्तो की पालना नही हुयी है, पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है साथ ही शेष आराजी संख्या 3834 पर प्रार्थीगण का कब्जा साबित न होने, प्रार्थना पत्र में आराजी संख्या 3834 पर किसी प्रकार का विवाद नही बताये जाने से आराजी संख्या 3834 पर विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा द्वारा किया गया आवंटन बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर